

फर्द अहकाम

न्यायालय उपरवाड मजिस्ट्रेट कोचूरली
सका बनाम रामरतन
 मुकदमा संख्या/वर्ष इस्तगासा 133 जा 0 फा 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11.4.19	<p>पत्रावली आज फा हुआ गए सायल उपस्थित।</p> <p>संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि धानादेवारी कोचूरली ने एक इस्तगासा अर्जत घा 133 जा 0 फा 20 इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि गणेशायल ने अपनी दुकान की समूची रात में लकड़ रातों के अलावा बा दिया है। जिससे आवागमन बाधित होता है। उक्त वृत्त पब्लिक न्यूसेस की श्रेणी में आता है।</p> <p>इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गौ सायल को नोटिस जारी किया गया। धूमिल उपान्त गौ सायल भय कमील उपस्थित आया, उक्त गुवानी बंधन के ली, उक्त दुकानों में सपाई के वरान वाली कोरे दुकान के बाहर एक दीर्घ 25 इंच दुकान की समूची अन्दा</p>

उपरवाड मजिस्ट्रेट
 कोचूरली (जयपुर)

फर्द अहकाम

उपखण्ड - मजिस्ट्रेट, कोयंबटूर

सख्खा बनाम रमिराम

इस्तगारा 133 जांफा 01/20

17/2018

संख्या/वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

(एता ई) मजिस्ट्रेट के किसी प्रमाण
 का अतिरिक्त नही बरगा/दिना
 बरमाबाई इप मी शर्मा
 हमने गौहापल के सुना
 एप फावली या अलव्य मिड
 का इकलोकन किया। गौहापल
 के सुबानी जमल बरमा के
 हवा या E.O. मापाल के
 कोयंबटूर के निदेश दिने
 जाते है कि वह प्रशासन मी
 स्पल का निरीक्षण करे और
 इव मी-भावे गौहापल का
 अतिरिक्त पाया जावे तो उसके
 इतर प्रमाण है हया अमा
 पालन रिपोर्ट इस न्यायालय
 में प्रस्तुत करे, तदा गौहापल
 के अतिरिक्त में अतिरिक्त नही
 बाने हेतु पावन्द करे। फता
 वली फलल शुभा एवार्ज
 मन्त्र से बरमा है, तथा दामोल
 दामा ही पालन मी लड्डला
 लहरी जाये ही

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 कोयंबटूर (जयपुर)